


राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.10()चुनाव/स्वा.शा. /19/ 3275

जयपुर, दिनांक: 21-6-19

आदेश

राज्य की नगरीय निकायों में आगामी चुनाव हेतु वर्तमान में वार्डों के पुर्नगठन एवं पुर्नसीमांकन निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इस कार्य से संबंधित समस्त कर्मचारी/अधिकारी राजकीय अवकाश दिवसों में भी वार्डों के पुर्नगठन एवं पुर्नसीमांकन संबंधी कार्य को प्राथमिकता से सम्पादित करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वार्डों के पुर्नगठन व पुर्नसीमांकन का कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा किया जावे।




(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.10()चुनाव/स्वा.शा. /19/ 3276-3520 दिनांक: 21-6-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त राजस्थान
04. अतिरिक्त निदेशक निदेशालय। (प्रभारी, कन्ट्रोल रूम-चुनाव)
05. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
06. आयुक्त/अधिसासी अधिकारी, नगर निगम/परिपद/पालिकाएं, समस्त राजस्थान
07. समस्त नगर नियोजक, नगर निगम/परिपद/पालिकाएं, समस्त राजस्थान
08. जन-सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय
09. नोडल-ऑफिसर, स्मार्टराज, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट एवं समस्त नगरीय निकायों को तत्काल ई-मेल पर प्रेषित कर सूचित करने हेतु प्रेषित है।
10. सुरक्षित पत्रावली।



विशिष्ट संयुक्त विधि परामर्शी